फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री नारायण बनाम विपक्षी : श्री ईश्वरलाल व अन्य

केसम मुकदमा – 251"क" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 55/24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 15.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 3 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दस्तावेज पेश करना नहीं चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी द्वारा मौजा लूणदा माल पटवार हल्का लूणदा तहसील कानोड की आराजी न 47, 48 में आवागमन कृषि संसाधन, ऊपज ले जाने हेतु आराजी न. 1 के दक्षिणी पुर्वी मुहाने से होकर आराजी संख्या 19 के पूर्वी दिशा की तरफ आवागमन प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त रास्ता रेकॉडेड रास्ता नहीं है जिससे विपक्षी द्वारा आवागमन में रोक टोक की जा रही है जिससे प्रार्थी द्वारा विपक्षी कि मौजा लुणदा माल पटवार हल्का लुणदा तहसील कानोड कि आराजी न. 1 व 19 में से 15 फीट चौडा रास्ता कायम किये जाने निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के अवलोकन से पाया कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मौजा लूणदा माल पटवार हल्का लूणदा तहसील कानोड की आराजी न. 47, 48 में आवागमन कृषि संसाधन, ऊपज ले जाने हेतु आराजी न. 1 के दक्षिणी पुर्वी मुहाने से होकर आराजी संख्या 19 के पूर्वी दिशा की तरफ आवागमन प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है। वर्तमानं में उक्त रास्ता रेकॉडेड रास्ता नहीं है जिससे विपक्षी द्वारा आवागमन में रोक टोक की जा रही है जिससे प्रार्थी द्वारा विपक्षी कि मौजा लुणदा माल पटवार हल्का लुणदा तहसील कानोड कि आराजी न. 1 व 19 में से 15 फीट चौडा रास्ता कायम कियें जाने निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी खातेदार श्री नारायण पुत्र रूपा जाति चमार की आराजी नं. 47 व 48 किता 2 रकबा 0.7000 है. भूमि में आने जाने हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी खातेदार की आराजी नं. 47, 48 में आने जाने हेतु न्युनतम दुरी का रास्ता आराजी नं. 1 व आराजी नं. 19 से होते हुये दिया जा सकता है। मौके पर आराजी नं. 1 व 19 से लगता हुआ कच्चा रास्ता बोहेडा की तरफ जाता है जो कि राजस्व ग्राम लूणदामाल व डुंगला तहसील की सीमा पर स्थित है। इस रास्ते का राजस्व गांव लूणदामाल के राजस्व रिकार्ड में नहीं है। तहसीलदार कानोड द्वारा बताया कि प्रस्तावित रास्ता आराजी न. 1 व 19 से दिया जा रहा है। आराजी नं. 1 के खातेदार श्री ईश्वरलाल, जगदीशलाल पिता प्रभुलाल धाकड निवासी धाकडों का खेडा है एवं आराजी न. 19 के खातेदार ... सुथार निवासी लूणदा है। संलग्न नवशे अनुसार प्रस्तावित रास्ता हेतु आराजी न. 1 से ... वर्गमीटर लिया जावेगा जिसकी किस्म चा. चतुर्थ होकर सिंचित है। आराजी न. 1 से ... मीटर लिया जावेगा जिसमें किस्म चा. चतुर्थ होकर सिंचित है। आराजी न. 1 की डीएलसी 11,07,433/– है। प्रस्तावित रास्ते हेतु आराजी नं. 19 से 525 वर्गमीटर भूमि ली जावेगी, जिसकी भूमि किस्म माल प्रथम सिंचित है तथा डीएलसी दर 11,07,433/– प्रति है. है जिसके अनुसार 525 वर्गमीटर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:17:22 IST
Reason: SelfAttested

डीएलसी 58140/– है। प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 15 फीट एवं लम्बाई 385 फीट है। रास्ता न्युनतम दूरी का रास्ता होना बताया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी चाहा गया है। प्रकरण में तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी की अपनी भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होना बताया तथा प्रस्तावित रास्ते के अ कोई विकल्प प्रस्तुत नही किया। तहसीलदार कानोड द्वारा प्रस्तावित रास्ता न्युनतम दूरी रास्ता बताया। अतः प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार कायम किया जाना उचित प्रतित होता हैं। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर रास्ता दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्त अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा लूणदा माल पटवार हल्का लूणदा तहसील का की आराजी नम्बर 47. 48 किता 2 रकबा 0.7000 है. भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की लूणदा. माल पटवार हल्का लूणदा तहसील कानोड की आराजी न. 1 में से 10 वर्गमीटर रास्ता आराजी न. 19 में से 525 वर्गमीटर कुल 535 वर्गमीटर (385 फीट (ल.) X 15 फीट (चौ.)) रास्ता प्रस्तावित राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम कि जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 1107433/– अक्षरे ग्यारह लाख स हजार चार सौ तैतीस रूपयें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता की कुल कीम 59250/– रूपये का दुगना 1,18,500/– रूपयें एक लाख अठारह हजार पाच सौ रूपयें रा प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षी को अदा करने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकर्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date:.2025.07.29 16:17:22 IST
Reason: SelfAttested